न्यायालय जिला कलक्टर, नागौर

बईजलास– डॉ0 अमित यादव,आई.ए.एस.

रसद मामला संख्या– 48/2022
जी.सी.एम.एस.पोर्टल नम्बर–2022/74

प्रार्थी

राजस्थान सरकार जरिये रामावतार पूनिया, प्रवर्तन निरीक्षक जिला रसद कार्यालय, नागौर

बनाम

अप्रार्थी

1–दामोदर पुत्र नेनाराम जाति जाट निवासी भादवों की ढाणी खींवसर तहसील खींवसर जिला नागौर।
2–हरीराम पुत्र खरताराम जाति जाट निवासी भादवों की ढाणी खींवसर तहसील खींवसर जिला नागौर।
3–मनीष भाटी पुत्र नरेश कुमार भाटी खींवसर जिला नागौर

उपस्थिति :–

1. प्रार्थी की ओर से प्रवर्तन अधिकारी (अभियोजन) श्री रामावतार पूनियां।
2. अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की ओर से वकील श्री सहदेव चौधरी।

निर्णय दिनांक – 29/08/2023

1. प्रार्थी द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6–ए के तहत यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रकरण में जब्तशुदा बोलेरो पिकअप वाहन संख्या आर.जे. 19 जी.बी. 7005 मय 2900 लीटर मिश्रित पेट्रोलियम पदार्थ को राजसात करने के आदेश प्रदान करने का निवेदन किया। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रकरण में अप्रार्थी मनीष भाटी को आदेशिका दिनांक 15.06.2022 अनुसार अप्रार्थी संख्या–3 के रूप में पक्षकार संयोजित किया जाकर तलबी हेतु नोटिस जारी किया, परन्तु अप्रार्थी संख्या–3 मनीष भाटी न्यायालय हाजा में उपस्थित नहीं होने पर उसके विरूद्ध दिनांक 07.09.2022 को एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।
2. उभय पक्ष की बहस सुनी गई। प्रार्थी की ओर से प्रवर्तन अधिकारी (अभियोजन) ने बहस में कथन किया कि दिनांक 30.01.2022 को थानाधिकारी पुलिस थाना खीवंसर द्वारा दूरभाष पर अवैध बायो डीजल से भरे हुए वाहन को डिटैन करने की सूचना दिये जाने पर श्री कंवराराम जिला रसद अधिकारी, नागौर हमराह श्री देवाराम सारण प्रवर्तन अधिकारी, श्री शिवराम प्रवर्तन निरीक्षक, श्री रामलाल प्रवर्तन निरीक्षक, श्री विरेन्द्रसिंह जाखड प्रवर्तन निरीक्षक पुलिस थाना खीवंसर पहुंचे। पुलिस थाना खीवंसर पहुंचकर थानाधिकारी से प्राप्त तहरीर के आधार पर मौके पर डिटैनशुदा पिकअप वाहन संख्या आर.जे. 19 जी.बी.7005 मय पेट्रोलियम पदार्थ का मौका निरीक्षण किया। डिटैनशुदा बोलेरों पिकअप वाहन संख्या आर.जे. 19 जी.बी. 7005 का मौका निरीक्षण करने पर पाया गया कि वाहन पर 2900 लीटर क्षमता का एक टैंक बना हुआ है जो पेट्रोलियम पदार्थ से भरा हुआ पाया गया। उक्त वाहन की केबिन मे एक डिस्पेंसिग यूनिट लगा हुआ पाया गया जो टैंक से आने वाले एक प्लास्टिक पाईप से जुडा हुआ पाया गया। डिस्पेंसिग यूनिट पर टैंक से बाहर निकाले जाने वाले पेट्रोलियम पदार्थ की मात्रा दर्शाने वाला एक इलेक्ट्रोनिक डिजीटल मीटर व एक नोजल लगा हुआ पाया गया जो पेट्रोलियम पदार्थ के व्यापारिक उद्धेश्य से लगाया हुआ प्रतीत होता है। बोलेरो पिकअप वाहन संख्या आर.जे 19 जी.बी.7005 पर बने हुए टैंक मे भरे हुए पेट्रोलियम पदार्थ का मापन करने पर कुल 2900 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ भरा हुआ पाया गया। मौके पर उपस्थित व्यक्ति अप्रार्थीगण दामोदर व श्री हरीराम से पूछताछ कर उनके बयान दर्ज किये गये। अपने बयानों में अप्रार्थी दामोदर वाहन मालिक व वाहन चालक ने बताया कि उसने दिनांक 26.01.2022 को एक अज्ञात ऑयल टैंकर से नागौर जोधपुर हाईवे पर 65 रूपये प्रति लीटर की दर से 2900 लीटर बायो डीजल उसकी बोलेरो पिकअप पर बने 2900 लीटर क्षमता के

कलक्टर नागौर

टैंक में भरवाया जिसका उपयोग उसके स्वयं के ट्रेक्टर मे करना था। बायोडीजल भरवाकर वह अपने वाहन बोलेरो पिकअप वाहन संख्या आर.जे. 19 जी.बी. 7005 को लेकर अपनी टयूबवेल की तरफ जा रहा था कि आकला–बेराथल रोड पर पुलिस टीम पहुंची और मेरे से वाहन को रूकवाकर पुलिस थाना खीवंसर लेकर आये। अप्रार्थीगण दामोदर व हरीराम से पेट्रोलियम पदार्थ के भण्डारण, परिवहन व विक्रय सम्बन्धी किसी प्रकार का अनुज्ञापत्र व आवश्यक दस्तावेज मांगे जाने पर उन्होनें इस सम्बन्ध में उसके पास किसी प्रकार का अनुज्ञापत्र व आवश्यक दस्तावेज नही होना स्वीकार किया। अप्रार्थीगण दामोदर व हरीराम द्वारा पेट्रोलियम पदार्थ के भण्डारण, परिवहन व विक्रय से सम्बन्धित किसी प्रकार का अनुज्ञापत्र व आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत नही किये जाने पर डिटैनशुदा बोलेरो पिकअप वाहन संख्या आर.जे. 19 जी.बी. 7005 के टैंक में भरे हुए पेट्रोलियम पदार्थ का संदेह के आधार पर मौके पर डेनसिटी ली गई जो 32°C तापमान पर 830 डेनसिटी पाई गई जबकि डेनसिटी चार्ट अनुसार शुद्ध डीजल की डेनसिटी 32 °C तापमान पर 841.8 होनी चाहिए थी। इसलिए उक्त पेट्रोलियम पदार्थ प्रथम दृष्टया मिश्रित पेट्रोलियम पदार्थ प्रतीत होना पाया गया। अप्रार्थीगण दामोदर व हरीराम द्वारा भण्डारण, परिवहन व विक्रय से सम्बन्धित किसी प्रकार का अनुज्ञापत्र एवं आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने एवं मिश्रित पेट्रोलियम पदार्थ प्रतीत होने पर अप्रार्थीगण दामोदर व हरीराम द्वारा MS & HSD आर्डर 2005 का स्पष्ट उल्लघंन किया है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः वास्ते सबूत बोलेरों वाहन पिकअप संख्या आर.जे 19 जी.बी.7005 मय 2900 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ (मिश्रित) को अवैध मानते हुए जब्त सरकार किया गया। जब्तसुदा वाहन संख्या आर.जे. 19 जी.बी. 7005 पर बने टैंक मे भरे हुए पेट्रोलियम पदार्थ से नमूनों हेतु प्रयुक्त होने वाले तीन एल्युमिनियम पात्रों को भरकर आवश्यक सूचनाएं चस्पा कर प्लास्टिक सीलों से सील्ड कर तीनों नमूनों को मार्का ए.–1, ए.–2 व ए.–3 दिया गया। नमूना कमांक ए.–1 वास्ते एफएसएल. जांच साथ लिया गया व नमूना कमांक ए.–2 अप्रार्थी दामोदर को सुपुर्द कर प्राप्ति के हस्ताक्षर करवाये गये एवं नमूना क्रमांक ए.–3 कार्यालय मे सुरक्षित रखने हेतु साथ मे लिया गया। जब्तसुदा वाहन संख्या आरजे.19 जीबी. 705 पर स्थापित डिस्पेंसिंग यूनिट के इलेक्ट्रोनिक मीटर को प्लास्टिक सील संख्या 512348766 से, नोजल को प्लास्टिक सील संख्या 860884 से, टैंक के उपरी ढक्कन को प्लास्टिक सील संख्या 860863 से व टैंक के पीछे के मुख्य निकासी वाल्व को प्लास्टिक सील संख्या 860860 से सील्ड किया। जब्तसुदा बोलेरो पिकअप वाहन संख्या आर.जे. 19 जी.बी. 7005 मय 2900 लीटर मिश्रित पेट्रोलियम पदार्थ को निर्णय होने तक सुरक्षित रखने हेतु प्रभारी मालखाना पुलिस थाना खीवंसर की सुपुर्दगी मे दिया जाकर प्राप्ति हस्ताक्षर करवाये गये।

2(1)–प्रकरण में जब्ती के समय जब्तशुदा वाहन आर.जे. 19 जी.बी. 7005 के मालिक की जानकारी नहीं हो सकी, तत्पश्चात उक्त वाहन मालिक की जानकारी होने पर वाहन मालिक मनीष भाटी को प्रकरण में अप्रार्थी पक्षकार बनाये जाने हेतु न्यायालय हाजा में प्रार्थी की से आवेदन प्रस्तुत करने पर न्यायालय हाजा द्वारा आदेशिका दिनांक 15.06.2022 अनुसार मनीष भाटी को अप्रार्थी संख्या–3 के रूप में पक्षकार संयोजित किया जाकर अप्रार्थी संख्या–3 की तलबी हेतु नोटिस जारी किया गया, परन्तु उसके न्यायालय में हाजिर नहीं होने पर अप्रार्थी संख्या–3 के विरूद्ध न्यायालय हाजा की आदेशिका दिनांक 07.09.2022 अनुसार एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थी संख्या–3 द्वारा प्रकरण में स्वंय के प्रतिरक्षण में कोई जबाब एवं साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है, जिससे अप्रार्थी संख्या–3 की प्रार्थी द्वारा उसके विरूद्ध न्यायालय हाजा में प्रस्तुत कार्यवाही पर मौन स्वीकृति की अवधारणा स्पष्ट होती है।

2(2)–प्रकरण में उक्त जब्तसुदा पेट्रोलियम पदार्थ का नमूना जांच के संबंध में Regional Forensic Science Laboratory, Jodhpur की रिपोर्ट कमांक–RFSL(JOD)/820/CAE/7/22 दिनांक 31.10.2022 में वर्णित किया गया है कि The liquid sample contained in the packet marked **A-1** did not confirmed the BIS specification of Diesel in respect of of distillation characteristics, kinematic viscosity at 40°C and flash point. On the basis of distillation characteristics the above sample was found to be mixture of inflammable petroleum hydrocarbon fraction having density 0.8441 at 15°C and flash point 5°C (Able). प्राप्त हुई है। **पेट्रोलियम एक्ट 1934 की धारा–2.परिभाषाएं**–(क) "पेट्रोलियम" से कोई द्रव हाईड्रोकार्बन या हाईड्रोकार्बन का मिश्रण और कोई ज्वलनशील मिश्रण (द्रव, विस्कासी या ठोस), जिसमें कोई द्रव

कलक्टर नागौर

हाईड्रोकार्बन हो, अभिप्रेत है: (ख) "पेट्रोलियम वर्ग क" से ऐसा पेट्रोलियम अभिप्रेत है जिसका प्रज्वलन ताप तेईस डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे है। उक्त नमूना जाँच रिपोर्ट में जब्त शुदा पेट्रोलियम पदार्थ का flash point 5°C (Able). बताया गया है, जो कि उक्तानुसार "क" वर्ग का मिश्रित पेट्रोलियम पदार्थ है , जिसके परिवहन एवं भण्डारण के लिए वैध अनुज्ञप्ति होना आवश्यक है। अप्रार्थी द्वारा दौराने जाँच मौके पर अथवा न्यायालय हाजा में ऐसी कोई अनुज्ञप्ति प्रस्तुत नहीं की है। इस प्रकार अप्रार्थीगण का यह कृत्य MS & HSD आदेश 2005 के खण्ड 2, 3 व 4 स्पष्ट उल्लघंन है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध होने का कथन करते हुए प्रवर्तन अधिकारी (अभियोजन) ने प्रकरण में जब्तसुदा बोलेरो पिकअप वाहन संख्या आर.जे. 19 जी.बी. 7005 मय 2900 लीटर मिश्रित पेट्रोलियम पदार्थ को राजसात करने का निवेदन किया है।

3– वकील श्री सहदेव चौधरी ने बहस में कथन किया कि प्रार्थी प्रर्वतन अधिकारी जिला रसद अधिकारी नागौर द्वारा जो परिवाद/आवेदन प्रस्तुत किया गया है यह गलत आधारो पर परिवाद/आवेदन पेश किया गया है। थानाधिकारी पुलिस थाना खींवसर द्वारा अप्रार्थीगण से किसी प्रकार का कोई पेट्रोलियम प्रदार्थ बरामद नहीं किया था, न ही अप्रार्थीगण दामोदर व हरिराम ऐसा कोई कार्य करते है। दामोदर व हरिराम को एक सांजिश के तहत फंसाया जाकर पुलिस थाना खींवसर में सी आर नम्बर 19/2022 अपराध अधीन धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत झूठा मुकदमा दर्ज करवाया गया था। जो स्वतः ट्रायल सारा मामला रोशन हो जायेगा। ऐसी सूरत में अभी किसी भी नतीजे पर पहुंचना न्यायोचित नहीं है। अप्रार्थी के वाहन पीकअप नम्बर आर.जे. 19/जी.बी. 7005 से किसी भी प्रकार का कोई पेट्रोलियम प्रदार्थ बरामद नहीं हुआ है जो भी बताया गया है वह गलत बताया गया है। उक्त प्रकरण से संबंधित पुलिस थाना खींवसर में मुकदमा दर्ज हो रखा है व एक ही अपराध के लिए दो प्रकरण अलग अलग चलाये नहीं जा सकते। ऐसी सूरत में जब तक सी.आर.नम्बर 19/2022 पुलिस थाना खींवसर का निर्णय संबंधित न्यायालय न्यायिक मजि.नागौर द्वारा नहीं हो जाता तब तक इस प्रकरण में किसी प्रकार की कार्यवाही की जाना न्याय संगत नहीं है। उक्त तथ्यो को व न्यायिक सिध्दान्तो को मध्य नजर रखते हुए इस स्टेज पर जब्त सुदा वाहन पीकअप नम्बर आर.जे.19/जी. बी 7005 को राजसात किया जाना न्यायोचित नहीं होने से परिवादी/प्रार्थी का आवेदन खारिज किया जाना न्यायोचित है। प्रार्थी जिला रसद अधिकारी नागौर द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र आधारहीन बिना न्यायिक प्रक्रिया के पेश किया हुआ होने का कथन करते हुए प्रार्थी का आवेदन पत्र खारिज करने का आदेश प्रदान करने का निवेदन किया है।

4–प्रवर्तन अधिकारी (अभियोजन) ने रिबटल में कथन किया कि प्रकरण में जब्तशुदा वाहन पीकअप नम्बर आर.जे. 19/जी.बी. 7005 का मालिक अप्रार्थी संख्या–3 मनीष है, जो न्यायालय में उपस्थित ही नहीं हुआ है, इसलिए वकील अप्रार्थी का कथन कि उक्त जब्तशुदा वाहन से किसी प्रकार का कोई पेट्रोलियम पदार्थ जब्त नहीं हुआ है, पूर्णतया गलत है। जहां तक वकील अप्रार्थी का कथन कि ***"उक्त प्रकरण से संबंधित पुलिस थाना खींवसर में मुकदमा दर्ज हो रखा है व एक ही अपराध के लिए दो प्रकरण अलग अलग चलाये नहीं जा सकते। ऐसी सूरत में जब तक सी.आर.नम्बर 19/2022 पुलिस थाना खींवसर का निर्णय संबंधित न्यायालय न्यायिक मजि.नागौर द्वारा नहीं हो जाता तब तक इस प्रकरण में किसी प्रकार की कार्यवाही की जाना न्याय संगत नहीं है।"*** उक्त संबंध में उल्लेखनीय है कि प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत हस्तगत आवेदन पत्र धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कार्यवाही हेतु न्यायालय हाजा में प्रस्तुत किया गया है। पुलिस थाना खींवसर में दर्ज सीआर नं. 19/2022 का प्रकरण धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम के अपराध के संबंध में है। उक्त अधिनियम की धारा 6ए एवं धारा 3/7 के तहत दो पृथक–पृथक कार्यवाहियां है। इसलिए हस्तगत प्रकरण जो कि धारा 6ए से संबंधित है, में किसी प्रकार की कार्यवाही रोकना उचित नहीं है। इसके अलावा वकील अप्रार्थी द्वारा धारा 3/7 की कार्यवाही न्यायालय में विचाराधीन रहते धारा 6ए की कार्यवाही रोकी जाने के संबंध में कोई विधिक प्रावधान प्रस्तुत नहीं किया है। इस प्रकार अप्रार्थीगण का कृत्य MS & HSD आदेश 2005 के खण्ड 2, 3 व 4 स्पष्ट उल्लघंन है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध होने का कथन करते हुए प्रवर्तन अधिकारी (अभियोजन) ने प्रकरण में जब्तसुदा बोलेरो पिकअप वाहन

कलक्टर नागौर

संख्या आर.जे. 19 जी.बी. 7005 मय 2900 लीटर मिश्रित पेट्रोलियम पदार्थ को राजसात करने का निवेदन किया है।

5–उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। सम्पूर्ण रिकार्ड का अवलोकन किया। दिनांक 30.01.2022 को थानाधिकारी पुलिस थाना खींवसर द्वारा दूरभाष पर अवैध बायो डीजल से भरे हुए वाहन को डिटैन करने की सूचना दिये जाने पर श्री कंवराराम जिला रसद अधिकारी, नागौर मय प्रवर्तन अधिकारी एवं निरीक्षकगण पुलिस थाना खींवसर पहुंचकर मौके पर डिटैनशुदा पिकअप वाहन संख्या आर.जे. 19 जी.बी.7005 मय पेट्रोलियम पदार्थ का मौका निरीक्षण किया। डिटैनशुदा बोलेरो पिकअप वाहन संख्या आर.जे. 19 जी.बी. 7005 का मौका निरीक्षण करने पर पाया गया कि वाहन पर 2900 लीटर क्षमता का एक टैंक बना हुआ है जो पेट्रोलियम पदार्थ से भरा हुआ पाया गया। उक्त वाहन की केबिन मे एक डिस्पेंसिंग यूनिट लगा हुआ पाया गया जो टैंक से आने वाले एक प्लास्टिक पाईप से जुडा हुआ पाया गया। डिस्पेंसिंग यूनिट पर टैंक से बाहर निकाले जाने वाले पेट्रोलियम पदार्थ की मात्रा दर्शाने वाला एक इलेक्ट्रोनिक डिजीटल मीटर व एक नोजल लगा हुआ पाया गया एवं उक्त वाहन पर बने हुए टैंक मे भरे हुए पेट्रोलियम पदार्थ का मापन करने पर कुल 2900 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ भरा हुआ पाया गया। मौके पर उपस्थित व्यक्ति अप्रार्थीगण दामोदर व हरीराम से पूछताछ कर उनके बयान दर्ज किये गये। अप्रार्थी दामोदर ने बताया कि उसने दिनांक 26.01.2022 को एक अज्ञात ऑयल टैंकर से नागौर जोधपुर हाईवे पर 65 रूपये प्रति लीटर की दर से 2900 लीटर बायो डीजल उसकी बोलेरो पिकअप पर बने 2900 लीटर क्षमता के टैंक में भरवाया जिसका उपयोग उसके स्वयं के ट्रेक्टर मे करना था। बायोडीजल भरवाकर वह अपने वाहन बोलेरो पिकअप वाहन संख्या आर.जे. 19 जी.बी. 7005 को लेकर अपनी ट्यूबवेल की तरफ जा रहा था कि आकला–बेराथल रोड पर पुलिस टीम पहुंची और मेरे से वाहन को रूकवाकर पुलिस थाना खींवसर लेकर आये। अप्रार्थीगण दामोदर व हरीराम से पेट्रोलियम पदार्थ के भण्डारण, परिवहन व विक्रय सम्बन्धी किसी प्रकार का अनुज्ञापत्र व आवश्यक दस्तावेज मांगे जाने पर उन्होनें इस सम्बन्ध में उसके पास किसी प्रकार का अनुज्ञापत्र व आवश्यक दस्तावेज नही होना बताया। मौके पर जॉच दल को अप्रार्थीगण दामोदर व हरीराम द्वारा पेट्रोलियम पदार्थ के भण्डारण, परिवहन व विक्रय से सम्बन्धित किसी प्रकार का अनुज्ञापत्र व आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत नही किये जाने पर बोलेरो पिकअप वाहन संख्या आर.जे. 19 जी.बी. 7005 के टैंक में भरे हुए पेट्रोलियम पदार्थ का संदेह के आधार पर मौके पर डेनसिटी ली गई जो 32°C तापमान पर 830 डेनसिटी पाई गई जबकि डेनसिटी चार्ट अनुसार शुद्ध डीजल की डेनसिटी 32 °C तापमान पर 841.8 होनी चाहिए थी। इसलिए उक्त पेट्रोलियम पदार्थ प्रथम दृष्टया मिश्रित पेट्रोलियम पदार्थ प्रतीत होना पाया गया। अप्रार्थीगण दामोदर व हरीराम द्वारा MS & HSD आर्डर 2005 का स्पष्ट उल्लघंन होने से एवं जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध होने से जॉच दल द्वारा वास्ते सबूत बोलेरों वाहन पिकअप संख्या आर.जे 19 जी.बी.7005 मय 2900 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ (मिश्रित) को अवैध मानते हुए जब्त किया जाकर उक्त जब्तसुदा वाहन पर बने टैंक मे भरे हुए पेट्रोलियम पदार्थ के विधिवत् नमूने लिये गये एवं जब्तसुदा वाहन पर स्थापित डिस्पेंसिंग यूनिट के इलेक्ट्रोनिक मीटर को प्लास्टिक सील संख्या 512348766 से, नोजल को प्लास्टिक सील संख्या 860884 से, टैंक के उपरी ढक्कन को प्लास्टिक सील संख्या 860863 से व टैंक के पीछे के मुख्य निकासी वाल्व को प्लास्टिक सील संख्या 860860 से सील्ड किया। जब्तसुदा बोलेरो पिकअप वाहन संख्या आर.जे. 19 जी.बी. 7005 मय 2900 लीटर मिश्रित पेट्रोलियम पदार्थ को निर्णय होने तक सुरक्षित रखने हेतु प्रभारी मालखाना पुलिस थाना खींवसर की सुपुर्दगी मे दिया जाकर प्राप्ति हस्ताक्षर करवाये गये।

5(1)–प्रकरण में जब्ती के समय जब्तशुदा वाहन आर.जे. 19 जी.बी. 7005 के मालिक की जानकारी नहीं होने से तत्पश्चात उक्त वाहन मालिक की जानकारी होने पर वाहन मालिक मनीष भाटी को प्रकरण में अप्रार्थी पक्षकार बनाये जाने हेतु न्यायालय हाजा में प्रार्थी की से आवेदन प्रस्तुत करने पर न्यायालय हाजा द्वारा आदेशिका दिनांक 15.06.2022 अनुसार मनीष भाटी को अप्रार्थी संख्या–3 के रूप में पक्षकार संयोजित किया जाकर अप्रार्थी संख्या–3 की तलबी हेतु नोटिस जारी किया गया, परन्तु उसके न्यायालय में हाजिर नहीं होने पर अप्रार्थी संख्या–3 के विरूद्ध न्यायालय हाजा की आदेशिका दिनांक 07.09.2022 अनुसार एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थी संख्या–3 द्वारा प्रकरण में स्वंय के प्रतिरक्षण में कोई जबाब एवं साक्ष्य प्रस्तुत

कलक्टर नागौर

नहीं किया है, जिससे अप्रार्थी संख्या–3 की प्रार्थी द्वारा उसके विरूद्ध न्यायालय हाजा में प्रस्तुत कार्यवाही पर मौन स्वीकृति की अवधारणा स्पष्ट होती है।

5(2)–प्रकरण में उक्त जब्तसुदा पेट्रोलियम पदार्थ का नमूना जांच के संबंध में Regional Forensic Science Laboratory, Jodhpur की रिपोर्ट कमांक–RFSL(JOD)/820/CAE/7/22 दिनांक 31.10.2022 के अनुसार जब्तशुदा "क" वर्ग का मिश्रित पेट्रोलियम पदार्थ है , जिसके परिवहन एवं भण्डारण के लिए वैध अनुज्ञप्ति होना आवश्यक है। अप्रार्थी द्वारा दौराने जॉच मौके पर अथवा न्यायालय हाजा में ऐसी कोई अनुज्ञप्ति प्रस्तुत नहीं की है।

5(3)–जब्तशुदा वाहन पीकअप नम्बर आर.जे. 19/जी.बी. 7005 का मालिक अप्रार्थी संख्या–3 मनीष है, जो न्यायालय में उपस्थित ही नहीं हुआ है, इसलिए वकील अप्रार्थी का कथन कि उक्त जब्तशुदा वाहन से किसी प्रकार का कोई पेट्रोलियम पदार्थ जब्त नहीं हुआ है, पूर्णतया गलत है। जहां तक वकील अप्रार्थी का कथन कि ***"उक्त प्रकरण से संबंधित पुलिस थाना खींवसर में मुकदमा दर्ज हो रखा है व एक ही अपराध के लिए दो प्रकरण अलग अलग चलाये नहीं जा सकते। ऐसी सूरत में जब तक सी.आर.नम्बर 19/2022 पुलिस थाना खींवसर का निर्णय संबंधित न्यायालय न्यायिक मजि.नागौर द्वारा नहीं हो जाता तब तक इस प्रकरण में किसी प्रकार की कार्यवाही की जाना न्याय संगत नहीं है।"*** उक्त संबंध में प्रवर्तन अधिकारी(अभियोजन) द्वारा बहस में किया गया कथन कि ***"प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत हस्तगत आवेदन पत्र धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कार्यवाही हेतु न्यायालय हाजा में प्रस्तुत किया गया है। पुलिस थाना खींवसर में दर्ज सीआर नं. 19/2022 का प्रकरण धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम के अपराध के संबंध में है। उक्त अधिनियम की धारा 6ए एवं धारा 3/7 के तहत दो पृथक–पृथक कार्यवाहियां है। इसलिए हस्तगत प्रकरण जो कि धारा 6ए से संबंधित है, में किसी प्रकार की कार्यवाही रोकना उचित नहीं है। इसके अलावा वकील अप्रार्थी द्वारा धारा 3/7 की कार्यवाही न्यायालय में विचाराधीन रहते धारा 6ए की कार्यवाही रोकी जाने के संबंध में वकील अप्रार्थी द्वारा कोई विधिक प्रावधान प्रस्तुत नहीं किया है।"*** इस प्रकार प्रवर्तन अधिकारी (अभियोजन) द्वारा किया गया उक्त कथन उचित है। प्रकरण. में अप्रार्थीगण द्वारा ऐसी कोई ठोस एवं प्रमाणित कथन एवं साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है, जिससे की प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम को खारिज किया जा सके। इस प्रकार अप्रार्थीगण का कृत्य MS & HSD आदेश 2005 के खण्ड 2, 3 व 4 स्पष्ट उल्लघंन होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

3. **6**–अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम स्वीकार किया जाता है। प्रकरण में जब्तसुदा बोलेरो पिकअप वाहन संख्या आर.जे. 19 जी.बी. 7005 मय 2900 लीटर मिश्रित पेट्रोलियम पदार्थ का सम्पहरण (Confiscate) किये जाने का आदेश दिया जाता है। प्रकरण में जब्तशुदा उक्त 2900 लीटर मिश्रित पेट्रोलियम पदार्थ व बोलेरो पिकअप वाहन संख्या आर.जे. 19 जी.बी. 7005 का नियमानुसार कीमतन निस्तारण किये जाने का आदेश दिया जाता है एवं निस्तारण से प्राप्त राशि को राजकीय राशि घोषित किया जाता है। प्रकरण में जब्तसुदा बोलेरो पिकअप वाहन संख्या आर.जे. 19 जी.बी. 7005 के सम्पहरण के विकल्प में अप्रार्थी संख्या–3 मनीष पर **10,0000/–रूपये (अक्षरे एक लाख रूपये)** का जुर्माना अधिरोपित किया जाता है। अप्रार्थी संख्या–3 मनीष द्वारा हस्तगत प्रकरण में पारित निर्णय की दिनांक से 45 दिवस के भीतर उक्त जुर्माना राशि जमा करवा दिये जाने पर उक्त जब्तशुदा बोलेरो पिकअप वाहन को मुक्त करने का आदेश दिया जाता है। अप्रार्थी संख्या–3 मनीष द्वारा उक्त निर्धारित अवधि में जुर्माना राशि जमा नहीं करवाने पर उक्त जब्तसुदा बोलेरो पिकअप वाहन संख्या आर.जे. 19 जी.बी. 7005 का नियमानुसार नीलामी करने का आदेश दिया जाता है एवं नीलामी से प्राप्त राशि राजकीय राशि घोषित की जाती है। जिला रसद अधिकारी नागौर को निर्णय की प्रति पालनार्थ भिजवाई जावे।

निर्णय सुनाया गया।

(डॉ0 अमित यादव)
जिला कलक्टर, नागौर
कलक्टर नागौर